राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1496/2016/भीलवाड़ा

मैसर्स बावजी स्टील ट्रेडर्स एफ.सी.आई. रोड़,
डालडा मिल के समाने, भीलवाड़ा .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी. दौसाया
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 31.05.2017

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के अपील सं. 134/वैट/ रेस्टो/ 15–16 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2016 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट–प्रथम, वृत–प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) ने दिनांक 31.12.2014 को वाहन संख्या RJ-06/GB-4409 जांच में पाया की वाहन द्वारा राजस्थान के बाहर से आयरन शीट्स का परिवाहन किया जा रहा था। परिवाहनित माल के संबध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा इनवाईस, बिल्टी एवं फार्म वेट–47 जो दिनांक 17.12.2012 को जारी किया गया था, पेश किया। कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि वेट–47 दिनांक 17.12.2012 को जारी किया गया, जिसकी अवधि दो वर्ष के लिये वैध होती है, दिनांक 16.12.2014 को समाप्त हो चुकी थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनीत माल को अधिसूचित श्रेणी का मानते हुए परिवहनित माल के साथ आवश्यक दस्तावेज वेट–47 समयावधि पार होने के कारण इसे वेट एक्ट 2003 के अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 का उल्लघंन माना तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रस्तुत वैट–47 अवधि पार होने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के तहत माल की कीमत रूपये 11,61,352/– मानते हुए 5 प्रतिशत कर 58,068/– एवं 30 प्रतिशत शास्ति रू 3,48,406/– कुल मांग राशि

लगातार.....2.

31/05/17

4,06,474/– रूपये अधिरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 21.04.2016 द्वारा अस्वीकार किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.04.2016 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों का खण्डन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित माल के संबंध में समस्त दस्तावेज मौजूद थे तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन्हें मिथ्या अवधारित नहीं किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल के साथ वेट–47 दिनांक 09.12.2014 को भेज दिय गया था किन्तु माल की देरी से रवानगी के कारण प्रपत्र वेट–47 Transit के दौरान कालातीत हो गया था। प्रपत्र वेट–47 की समयावधि समाप्त होने के पश्चात् इसे एक वर्ष की अवधि के लिये पुनः बढ़ा कर विधिमान्य किया जाता सकता है। परिवहनित माल के साथ केवल अवधिपार वेट–47 पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर एवं शास्ति का आरोपण किया गया है, जो कि एक तकनीकी त्रुटि है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा Tax Update 40 Pg 9, VAT reporter pg 154, STC 2000 Pg212, TAX Update 35 Pg 317 आदि न्यांयिक दृष्टांत प्रस्तुत किये तथा अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. बहस के दौरान राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि परिवहनित माल अधिसूचित वस्तु था तथा इसके साथ वेट–47 होना आवश्यक था। वक्त चैकिंग माल प्रभारी द्वारा जो वेट–47 पेश किया गया वह दिनांक 17.12.2012 को जारी किया हुआ था। निरीक्षण की दिनांक 31.12.2014 को उक्त प्रपत्र वेट–47 कालातीत हो गया था। अतः इसे विधिमान्य नहीं माना जा सकता। अपने इस कथन के साथ विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया तथा अपीलार्थी पर आरोपित कर एवं शास्ति को उचित बताते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. उभयपक्ष बहस सुनी गई तथा रेकॉर्ड का परिशीलन किया गया।

7. रेकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि दिनांक 31.12.2014 को वाहन संख्या RJ26/GB-4409 को चैक किये जाने पर माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में घोषण प्रपत्र

31/05/17

लगातार.....3.

वेट–47 दिनांक 17.12.2012 को जारी किया हुआ, प्रस्तुत किया गया। जिसकी वैधता की अवधि 2 वर्ष तक अर्थात् दिनांक 16.12.2014 तक की थी। इस कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त जांच दिनांक 31.12.2014 को प्रपत्र वेट–47 के कालातीत होने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के अधीन शास्ति एवं ब्याज का आरोपण किया गया। रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वेट–47 सम्पूर्ण भरा हुआ था तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी इसे बोगस या मिथ्या साबित नहीं किया गया। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2006 के नियम 21(5) के प्रावधानों के तहत् उक्त घोषण प्रपत्र वेट–47 की समयावधि समाप्त होने के पश्चात् जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष की समयावधि के लिये इसे पुनः विधिमान्य किया जा सकता है।

8. **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जोधपुर बनाम महावीर चन्द्र जैन एण्ड कम्पनी एसटीसी 2000 पेज 212 निर्णय दिनांक 02.03.2000** में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि **"राजस्थान बिक्री अधिनियम 1994 व राजस्थान बिक्री कर नियम 1995 के अधीन जारी फॉर्म एसटी18ए की वैधता जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक होती है किन्तु उक्त समयावधि समाप्त होने के पश्चात् इसे एक वर्ष की अवधि के लिये पुनः विधिमान्य किया जा सकता है तब शास्ति का आरोपण उचित नहीं है।" राजस्थान कर बोर्ड द्वारा भी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन– द्वितीय, जोधपुर बनाम मैसर्स जे.के. इण्डस्ट्रीज, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आरटीआर 26** में अवधि पार घोषणा प्ररूप वेट–47 की प्रस्तुत को एक तकनीकी अनियमितता माना है। अतः इस आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित एवं अविधिक है। इस प्रकार वेट–47 कालातीत होने के पश्चात् उसकी अवधि वैधानिक रूप से एक वर्ष तक बढ़ाने के प्रावधान होने से अवधिपार वेट–47 के आधार पर धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपित करने को विधि संगत एवं न्यायोचित नहीं है। अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्थान कर बोर्ड द्वारा उक्त विवादित बिन्दु के संबंध में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 02.01.2015 एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.2016 विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. परिणामस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 02.01.2015 तथा अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21.04.2016 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।

31/05/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य